हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मगनसिंह बनाम राज्य सरकार	
18/9/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० NTPR अप्रार्थी उप० पैरोकार सरकार से दिनांक 20/9/24 को जवाब प्राप्त जो शामिल पत्रा० है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/9/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/9/24	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 23/10/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/10/24 को पेश हो। Rahul	
24/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/10/24 को पेश हो। Rahul	
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Rahul उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 03/2024

1. मगन सिंह
2. श्रीधर पुत्रान भैरों सिंह जाति गूजर निवासी तुहिया पट्टी उच्चैन जिला भरतपुर।

...................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1. श्री गिरधर छावडी एडवोकेट

निर्णय

दिनांकः–28.10.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1130/0.31, 1067/0.17 वाके ग्राम तुहिया पट्टी तहसील उच्चैन में स्थित है उक्त आराजी प्रार्थीगण को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है राजस्व रिकार्ड में पूर्व से ही प्रार्थीगण के पिता का नाम भैरों सिंह दर्ज चला आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से प्रार्थीगण के पिता का नाम भैरों लाल कर दिया है जो कि गलत है इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 1 मगन सिंह के स्थान पर भजन सिंह संवत् 2065 से 2068 के राजस्व रिकार्ड में गलत नाम इन्द्राज कर दिया था प्रार्थी को उक्त अशुद्धि की जानकारी होने पर प्रार्थी संख्या 1 ने तहसीलदार उच्चैन को प्रार्थना पत्र शुद्धि किये जाने बावत् पेश किया था। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16.04.2010 को संबत् 2065 में शुद्धिकरण कर दिया था जिसको पुनः राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मगन सिंह के स्थान पर भजन सिंह दर्ज कर दिया है जिसका प्रार्थी शुद्धिकरण करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजों में पिता का नाम भैरों सिंह दर्ज है। उक्त दोनों अशुद्धियों की जानकारी प्रार्थीगण को कृषि केडिट कार्ड की पत्रावली तैयार करवाते समय हुई। दिनांक 26.02.2024 को उक्त अशुद्धियों के शुद्धिकरण हेतु प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार उच्चैन के समक्ष पेश किया तो तहसीलदार उच्चैन द्वारा शुद्धि करने से इन्कार कर दिया जिसके कारण प्रार्थीगण को राज्य सरकार की

Rahul Srivastava
28/10/24

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

लाभकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का सही नाम मगन सिंह एवं प्रार्थीगण के पिता का सही नाम भैरों सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी ने जबाव पेश कर निवेदन किया है हाल जमाबंदी संवत् 2075–78 में भजनसिंह पुत्र भैरोलाल जाति गूजर सा. उच्चैन हि. मुताबिक जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड है एवं आधार संवत् 2074–74 जमाबंदी वाके ग्राम तुहिया पट्टी में उक्त खसरा नम्बर में भी खातेदार भजनसिंह पुत्र भैरोलाल जाति गूजर सा. उच्चैन हि. मु. जमावंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2069–72 वाके ग्राम तुहियापट्टी में उक्त ख.नं. के साविक नम्बरान में खातेदार मगनसिंह पुत्र भैरोसिंह जाति गूजर सा. उच्चैन हि. मु. जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम भजनसिंह पुत्र भैरोंलाल के स्थान पर मगनसिंह पुत्र भैरोंसिंह किया जाना उचित होगा।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं हाल जमाबंदी में प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम भजन सिंह के स्थान पर मगन सिंह एवं प्रार्थीगण के पिता का नाम भैरोंलाल के स्थान पर भैरों सिंह किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्बत् 2069–72 में प्रार्थी का नाम मगनसिंह एवं प्रार्थीगण के पिता का नाम भैंरोसिंह जाति गूजर सा. उच्चैन हि. मु. दर्ज रिकार्ड है। अतः हाल जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में प्रार्थी का नाम भजनसिंह पुत्र भैरोंलाल के स्थान पर मगनसिंह पुत्र भैरों सिंह किया जाना उचित होगा।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम तुहिया पट्टी के हाल जमाबन्दी सम्बत् 2075–2078 में खसरा नम्बर 1067/0.17, 1130/0.31 में प्रार्थी का नाम भजनसिंह के स्थान पर मगनसिंह एवं प्रार्थीगण के पिता का नाम भैरोंलाल के स्थान पर भैरोंसिंह शुद्ध किया जावे। तहसीलदार उच्चैन को इस बाबत् कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Shrivastava 28/10/24

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)